लोकपाल, निवासी की संतुष्टि तक समस्याओं का हल करने के लिए निवासी के साथ कार्य करेगा। दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण के मामलों में, लोकपाल यह निर्धारित करता है कि क्या निवासी यह चाहेगा कि उसकी शिकायत विधि प्रवर्तन को भेज दी जाए, या फिर यह चाहेगा कि उसकी शिकायत इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ) को भेजी जाए जो अधिकांश दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों का नियमन करता है।

क्या लोकपाल घर पर रहने वाले लोगों की मदद करता है?

हाँ। गृह लोकपाल कार्यक्रम उन बुजुर्गों और अशक्त वयस्कों की पक्षधरता करता है जो समुदाय में रहते हैं और जिन्हें मेडिकेयर-मेडिकएड अनुरूपता पहल (Medicare-Medicaid अलाइनमेंट इनीशिएटिव, MMA) के जरिए प्रबंधित देखभाल सेवाएं मिलती हैं, या जो समुदाय में रहते हैं और Medicaid अधित्याग (वेवर) सेवाएं प्राप्त करते हैं।

उन वयस्कों का क्या जो किसी इकाई में रहते हैं पर इकाई से बाहर का उनका कोई परिचित उनसे दुर्व्यवहार या उनका शोषण करता है?

1 जनवरी, 2019 से प्रभावी हुए APS अधिनियम ने "पात्र वयस्क" की परिभाषा को विस्तार दे कर उसमें ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया है जो अन्यथा "घरेलू जीवन-यापन परिस्थिति" की परिभाषा से बाहर थे। इसका यह अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति से इकाई के बाहर किसी परिजन द्वारा, देखभालकर्ता द्वारा या उक्त व्यक्ति से संबंध रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है, तो APS कार्यक्रम प्रतिक्रिया दे सकता है। साथ ही, यदि किसी दीर्घकालिक देखभाल इकाई के किसी निवासी का किसी परिजन द्वारा, देखभालकर्ता द्वारा, या उक्त व्यक्ति से संबंध रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित रूप से वित्तीय शोषण किया जाता है, तो APS कार्यक्रम प्रतिक्रिया दे सकता है। इस परिस्थिति में निवासी, APS कार्यक्रम और/या लोकपाल कार्यक्रम के साथ कार्य करने का विकल्प चुन सकता है।

यदि किसी व्यक्ति के घर में उससे दुर्व्यवहार, उसकी उपेक्षा या उसका शोषण हो रहा हो तो?

जब APS को यह सूचना मिलती है कि किसी अशक्तता ग्रस्त वयस्क या किसी बुजुर्ग से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी उपेक्षा हो रही है, या उसका शोषण हो रहा है, तो एक केस-कर्मी परिस्थिति की जांच करता है। कार्यक्रम के दायरे में अग्रलिखित प्रकार के दुर्व्यवहार आते हैं: शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, कैद, निष्क्रिय उपेक्षा, सुविचारित वंचन, वित्तीय शोषण और स्व-उपेक्षा।

यदि दुर्व्यवहार का पीड़ित व्यक्ति सहायता स्वीकार लेता है, तो APS उस बुजुर्ग या अशक्त व्यक्ति को हस्तक्षेप या केस योजना के विकास में शामिल कर लेता है। केस-कर्मी उन्हें विभिन्न प्रकार के कानूनी, चिकित्सीय, और सामाजिक सेवा विकल्पों के बारे में समझाता है।

संदिग्ध दुर्व्यवहार, उपेक्षा, या शोषण की सूचना देने के लिए, इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) की वरिष्ठजन हेल्पलाइन को कॉल करें: 1-800-252-8966. किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार सहन करते रहने न दें।

हम आपकी स्वयं की परिस्थिति के अनुसार आपकी जरूरत की सहायता पाने में आपकी मदद कर सकते हैं या सही दिशा दिखा सकते हैं!

अधिक जानकारी के लिए, विजिट करें

www2.illinois.gov/aging/Engage

@IL_DoA @illinoisDoA

इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) उपयुक्त राज्य एवं संघीय संविधियों के अनुपालन में कार्यक्रमों में रोजगार का उपचार या गतिविधियों में दाखिले के मामले में भेदभाव नहीं करता है। यदि आपको लगता है कि आपसे भेदभाव किया गया है, तो आपको इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। अधिक जानकारी के लिए, वरिष्ठजन हेल्पलाइन को कॉल करें: 1-800-252-8966; 1-888-206-1327 (TTY).

इलिनॉय राज्य के प्राधिकरण द्वारा मुद्रित 1/21 . 100c
IOCI21-0264-1/Hindi

इलिनॉय राज्य
Department on Aging

Illinois Department on Aging's Adult Protective Services & Ombudsman Programs

आपको क्या जानने की ज़रूरत है बुज़ुर्गों और अशक्त वयस्कों से दुर्व्यवहार

#ENGAGE 2 CHANGE

1-800-252-8966

IDoA
Illinois Department on Aging

वयस्क संरक्षण सेवाएं और लोकपाल (ओम्बड्समैन) कार्यक्रम

इलिनॉय वासियों को यह तथ्य बदलने के लिए #Engage2Change होना होगा कि अशक्तताओं से ग्रस्त बुजुर्गों और वयस्कों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, उनकी उपेक्षा की जा सकती है और उनका शोषण किया जा सकता है, भले ही वे कहीं भी रहते हों, चाहे वे अपने घर में रहते हों या किसी दीर्घकालिक देखभाल इकाई में। इस ब्रोशर को आपको 18 से 59 वर्ष की आयु वाले एवं किसी अशक्तता से ग्रस्त वयस्कों या 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण को रोकने के लिए इलिनॉय जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग) द्वारा पूरे राज्य में चलाए जा रहे दो कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

वे कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

वयस्क संरक्षण सेवाएं कार्यक्रम – घर पर या दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों में रहने वाले बुजुर्गों और अशक्तता से ग्रस्त वयस्कों की मदद करता है

और

दीर्घकालिक देखभाल लोकपाल (ओम्बड्समैन) कार्यक्रम – दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों में रहने वाले निवासियों की मदद करता है

इन कार्यक्रमों में कई चीजें समान हैं। दोनों ही:

अपने सेवित व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण का संरक्षण करते हैं;

लोगों की सहमति और संलग्नता के आधार पर उनकी मदद करते हैं;

जब भी कभी संभव हो तब पारिवारिक इकाई परामर्श प्रणाली से परामर्श करते हैं;

परिस्थिति, विकल्पों, और परिणामों पर चर्चा करते हैं;

व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार का सम्मान करते हैं;

व्यक्ति के हितों को प्रथम सरोकार मानते हैं;

व्यक्तियों को सोचे-समझे निर्णय लेने में सहायता देने वाली जानकारी देते हैं;

आत्मनिर्भरता बनाए रखते हैं;

व्यक्तियों से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं;

शारीरिक, मौखिक/शाब्दिक, मानसिक, वित्तीय या यौन दुर्व्यवहार की रोकथाम करते हैं और उसे हल करते हैं; और

व्यक्तियों को उनकी स्वयं की देखभाल योजना में भाग लेने में सहायता देते हैं

वयस्क संरक्षण सेवाएं कार्यक्रम क्या है?

वयस्क संरक्षण सेवाएं (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज, APS) कार्यक्रम कथित दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण की ऐसी सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देता है जिनमें पीड़ित बुजुर्ग या अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति घर पर या किसी इकाई में रहता है और दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति इकाई के बाहर से होता है, जैसे कोई परिजन या दोस्त। वित्त 2020 में, 20,000 से भी अधिक सूचनाएं मिली थीं।

दीर्घकालिक देखभाल लोकपाल कार्यक्रम क्या है?

दीर्घकालिक देखभाल लोकपाल (ओम्बड्समैन) कार्यक्रम दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और जीवन की गुणवत्ता का संरक्षण करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। इन इकाइयों में लाइसेंसशुदा इकाइयां जैसे नर्सिंग होम, सहायित जीवन-यापन (असिस्टेड लिविंग) या साझा आवास प्रतिष्ठान, सहयोगी जीवन-यापन (सपोर्टिव लिविंग), ICF-DD, MC-DD, या कोई विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास इकाई शामिल हैं। लोकपाल (ओम्बड्समैन) कार्यक्रम इकाई में रहने वाले या इकाई के लिए कार्य करने वाले दुर्व्यवहारकर्ता द्वारा कथित दुर्व्यवहार, उपेक्षा और वित्तीय शोषण के मामलों में सहायता के लिए उपलब्ध है। वित्त 2019 में, इलिनॉय में ऐसी 1,600 से भी अधिक इकाइयां थीं जिनमें 1,44,000 से भी अधिक शैयाएं थीं।

लोकपाल दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं पा रहे लोगों की ओर से शिकायतें हल करने का कार्य करते हैं। इसके साथ-साथ, लोकपाल दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों में नियमित मुलाकातें प्रदान करते हैं, जानकारी और सहायता के अनुरोधों के उत्तर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नीति नियंता निवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, आम जनता और इकाई के स्टाफ के लिए शैक्षिक सत्र संचालित करते हैं, और निवासी एवं पारिवारिक परिषदों को सहयोग देने का कार्य करते हैं।

आपके पास यह अधिकार है।

आप चाहे समुदाय में रहते हों या किसी दीर्घकालिक इकाई में, आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षा और अच्छी देखभाल का अधिकार है।

कोई लोकपाल मुझे या दीर्घकालिक देखभाल इकाई में रहने वाले मेरे किसी प्रियजन को किस प्रकार मदद दे सकता है?

दीर्घकालिक देखभाल इकाइयों के कई निवासियों को कुछ समस्याएं और शिकायतें होती हैं जो वे लोकपाल के संज्ञान में लाते हैं। लोकपाल कार्यक्रम द्वारा जांची जाने वाली सबसे आम शिकायत, दीर्घकालिक देखभाल इकाई द्वारा अनुचित ढंग से छुट्टी देने की कार्यवाही शुरू कर देने से जुड़ी है। एक उदाहरण: एक दीर्घकालिक देखभाल इकाई ने एक निवासी को छुट्टी देकर अस्पताल, निराश्रित आश्रय-स्थल या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर भेज दिया और निवासी को वापस लेने से मना कर दिया। इकाइयों को किसी निवासी को छुट्टी देने की योजना बनाते समय उचित अग्रिम सूचना देनी होती है। अन्य शिकायतें खराब देखभाल या निवासी के साथ स्टाफ के व्यवहार से जुड़ी हो सकती हैं।

किसी शिकायत के हल के लिए लोकपाल क्या कर सकता है?

लोकपाल निवासी की शिकायत की प्रकृति समझने के लिए निवासी के साथ परामर्श कर सकता है और परिस्थिति के हल के लिए निवासी, दीर्घकालिक देखभाल इकाई और अन्य के साथ कार्य करके मदद दे सकता है। शिकायत का स्रोत चाहे जो भी हो, निवासी हमेशा ही लोकपाल का क्लाइंट होता है।

यदि किसी दीर्घकालिक देखभाल इकाई के किसी निवासी के साथ दुर्व्यवहार, उसकी उपेक्षा, या उसका शोषण हो रहा हो तो?